To Constructed the Road

440. SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A. : Will the Chief Minister be pleased to state:

a) Whether it is fact that the tender of constructing road leading from Whirlpool Chowk to Saran Chowk has been released to Brij Goyal Construction by the HSIIDC and thereafter same tender has been given to some other company with less amount of Rs. 41.05 Crore;

b) Whether it is also a fact that Brij Goyal Construction company has been taken stay order from the Hon'ble high court due to which the said road has not been constructed so far; and

c) Whether it is also fact that the Brij Goyal Construction company had assured in writing to withdraw the case so that the road may be constructed?

<u>REPLY</u>

Manohar Lal, Chief Minister Haryana

a) It is a fact that the tender of constructing road leading from Whirlpool Chowk to Saran Chowk has been allotted to M/s Brij Gopal Construction Company Pvt. Ltd. by the HSIIDC.However, thereafter, HSVP called the tenders for respectiveIndustrial Estate for the same road, sector-wise separately, andthe rates quoted to HSVP by the agencies are approx Rs. 41.05 Crore less than the rates quoted by M/s Brij Gopal Construction Company Pvt. Ltd. to whom HSIIDC had allotted the tender which was subsequently cancelled by HSIIDC.

b) It is also a fact that M/s Brij Gopal Construction Company Pvt. Ltd. had taken astay in Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in CWP No. 15977/2018 due to which the said road has not been constructed so far. However, the same has been dismissed now on 19.08.2021.

c) It is a fact that the said company had given assurance in writing on 10.06.2021 to withdraw the case from Punjab & Haryana High Court which has been dismissed now on 19.08.2021.

सड़क का निर्माण करना

440 श्री नीरज भार्मा, एम० एल० ए० : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे–

(क) क्या यह तथ्य है कि एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा ब्रिज गोयल कंस्ट्रक्शन को वर्हलपुल चौंक से सारन चौंक तक जाने वाली सड़क निर्मित करने की निविदा जारी की गई है तथा उसके पश्चात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सड़क तथा कुछ अन्य सड़कों के संबंध में 41.05 करोड़ रुपये की कम राशि के साथ किसी अन्य कम्पनी को वही निविदा दी गई है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि ब्रिज गोयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लिया है जिसके कारण उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है; तथा

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि ब्रिज गोयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने लिखित में केस वापिस लेने का आश्वासन दिया था ताकि सड़क का निर्माण हो सके?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

(क) यह तथ्य है कि वर्हलपुल चौंक से सारन चौंक तक जाने वाली सड़क निर्माण की निविदा मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा जारी की गई है। हालांकि उसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित औद्योगिक सपंदा में उसी सड़क के लिए सैक्टर अनुसार अलग से निविदाये बुलाई, जिसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एजेंसियों द्वारा उद्वत दरें मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जिसे एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा निविदा जारी की थी से 41.05 करोड़ रुपये कम आई है और जिसको बाद में एच.आई.आई.डी.सी. द्वारा रद्व कर दिया गया था।

(ख) यह भी एक तथ्य है कि मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 15977/2018 के तहत पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय में स्टे ले लिया था जिसके कारण उक्त सड़क का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। हालांकि इसे अब 19.08.2021 को खारिज कर दिया गया है।

(ग) यह तथ्य है कि उक्त कंपनी ने 10.06.2021 को माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा से मामला वापस लेने का आश्वासन दिया था जो 19.08.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने याची की याचिका पर खारिज कर दिया है।